ए.12018/26/2016–एम.एच/एन.सी.डी.
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रबंधक (व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्कशॉप) पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रबंधक (व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्कशॉप) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली. 110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2020

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, (श्रेणी-III और श्रेणी IV के पद) भर्ती नियम 1968 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में प्रबंधक व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्कशॉप के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ** : -

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में प्रबंधक व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्कशॉप (समूह-ग) पद भर्ती नियम 2019 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रबंधक व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्कशॉप	01*(एक) (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल-5 (29,200-92,300/- रूपए)	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके अन्यथा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 (25,500-81,100/- रूपए) में पांच वर्षों की नियमित सेवा रखने वाले पर्यवेक्षक, व्यावसायिक मार्गदर्शन से	समूह-ग के लिए विभागीय प्रौन्नति समिति 1. अपर निदेशक –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (पुनर्वास) -सदस्य	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) (क) (i) केंद्र अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो: (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारित हो या जिन्होनें लेवल-4 (25,500- 81,100/- रूपए) में नियमित आधार पर नियुक्ति उपरांत ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा प्रदान की हो और निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं रखते है: मैकेनिकल या इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग अथवा इलैक्ट्रोनिक्स या कंप्यूटर (आईटी) या प्रिटिंग अथवा फोटोग्राफी या टैक्सटाईल डिजाइनिंग अथवा आर्ट एंड क्राफ्ट्स या इंटीरियर डिजाइनिंग या टेलरिंग में डिप्लोमा (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)	3. प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	

सं.ए.12018/26/2016 एमएच.II

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार